राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1134/2014/जयपुर

मै सिका इण्डिया (प्रा.) लि.,
रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत प्रथम, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जी.एन.शर्मा,
अधिकृत प्रतिनिधि .....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 28/06/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 110/अ.प्रा.–III/सीएसटी/जयपुर/2013–14/सी में पारित आदेश दिनांक 09.05.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, विशेष वृत–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 55 तहत् कायम मांग राशि रूपये 1,94,50,808/– में से राशि रूपये 1,94,44,350/– को यथावत रखा गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त कर निर्धारण फार्म 'सी', 'एफ' एवं 'ई–I/ई–II' कम पेश करने पर कुल मांग राशि रूपये 1,94,44,350/– का आरोपण किया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार कर दी। अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी के पास वक्त कर निर्धारण फार्म प्राप्त नहीं होने के कारण, पेश नहीं कर सका। आगे उन्होने अपने कथन में फार्म पेश करने हेतु समय चाहते हुए अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेश को निरस्त कर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

4. प्रत्यर्थी विभागीय उपराजकीय अधिवक्ता ने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एंव सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी को घोषणा पत्रों को पेश करने हेतु पर्याप्त समय नहीं मिला। न्यायहितार्थ अपीलार्थी व्यवहारी को फार्म 'सी', 'एफ' एवं 'ई–I/ई–II' पेश करने हेतु एक माह का समय प्रदान किया जाकर अपील सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित की जाती है। सशक्त अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि एक माह में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्रों की विधिवत जांच पश्चात् नियमानुसार आदेश पारित करें।

6. फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(**मदनलाल मालवीय**)
सदस्य

(**खेमराज**)
अध्यक्ष